कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार।

संख्याः 3646 /आब0सहा0/2020–21 दिनांक 23 जनवरी, 2020

विषयः वित्तीय वर्ष 2020–21 में दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में।

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
हरिद्वार।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या 135/XXIII/2020/04(1)/2020 देहरादून दिनांक 22.02.2020 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति व उत्तराखण्ड आबकारी (देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली–2001 तथा शासनादेश संख्या 20/XXIII-1/2021–04(1)/2020देहरादून दिनांक 20.01.2021 व तद्क्रम में जारी कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 15952–55/सात लाई–वी–369/व्यय/2020–21/सा0 निर्देश/विज्ञप्ति/दे0दून0 दिनांक 22.01.2020 व प्रचलित आबकारी नियमों में दी गई व्यवस्था के क्रम में वर्ष 2020–21 की शेष अवधि के लिए जनपद हरिद्वार की अवशेष 12 विदेशी व 18 देशी शराब की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन व्यवस्थापन की तिथि से वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2021) तक अवशेष राजस्व के न्यूनतम 50 प्रतिशत की सीमा तक जिलाधिकारी के स्तर पर ऑफर आमंत्रित कर आवंटित किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति/सहमति प्रदान की गई है। उपरोक्त हेतु निम्नवत कार्यक्रमानुसार निर्धारित तिथि तक कार्यालय समय में ऑफर आमंत्रित किये गये हैं–

क्र0सं0	विवरण		स्थान, दिनांक व समय
1	ऑफर	ऑफर प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समय व स्थान	दिनांकः 27.01.2021 को 02:00 बजे अपराह्न तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार कक्ष संख्या–316, कलेक्ट्रेट परिसर, रोशनाबाद।
2		ऑफर खोलने की तिथि व समय व स्थान	दिनांक 27.01.2021 को अपराह्न 03:00 बजे से आवंटन प्रकिया समाप्त होने तक कलेक्ट्रेट सभागार, रोशनाबाद में।

अतः कृपया दिनांक 27.01.2021 को कलेक्ट्रेट सभागार रोशनाबाद में सम्पन्न होने वाली व्यवस्थापन प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

23-1-2021
(लक्ष्मण सिंह बिष्ट)
प्र0 जिला आबकारी अधिकारी
हरिद्वार।